

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश: जबलपुर
/शुद्धि पत्र/


क्रमांक 1081/परीक्षा/2018

जबलपुर, दिनांक 27/04/2018

दिनांक 23.04.2018 के अंक में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक 1065/परीक्षा/2018, दिनांक 20/04/2018 प्रकाशित की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय में (i)रसोइया (ii)स्वीपर (iii)माली, (iv)मृत्य चतुर्थ श्रेणी कलेक्ट्रेट रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी, की सीधी भर्ती हेतु आयुसीमा की गणना दिनांक 01.01.2018 से किये जाने का उल्लेख किया गया था जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

“आयु की गणना दिनांक 01.01.2018 के स्थान पर 01.01.2019 से की जावेगी”

शेष विज्ञापन पूर्वानुसार यथावत् रहेगा।


(अखिल कुमार श्रीवास्तव)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा)
27.04.2018